अनुसूची 21—फार्म सं० 113

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या 871/6-4-16 19..... आवेदन सं० 2582/6-4-16 19.....

श्री/श्रीमती/सुश्री धर्मेन्द्र सिंह देव

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निर्वसित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये कथन के अनुसार विवरण दे।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 2005 19..... से ता० till date तक तलाश की गयी और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला

पता है अतः निम्न

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	मौ-गो अंक-1454 2-14-15C P.S=21	04-11 5462	रजिस्ट्री 384	Self 1652	Area 6 Kattha - 5 Dhurs =850 6			Sht. in 5.5 decimls

A K Singh

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

2. बंधक पत्र की दिशा ब्याज को कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। वसूली को उनके बारे में उल्लेख हो।

3. फटूट को दशा में पहले की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर): Radhey Shyam

(पदनाम): L.D.C.

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

कार्यालय: दानापुर

तारीख: 6-4-16

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर 6-4-16

टिप्पणी:- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये है। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजो में दिखाया गया हो तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जावेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-५७ के अधीन जो व्यक्ति (बाइयी) और अनुकमाणियों (इन्डेन्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जरुरत हो उन्हे तलासी स्वयं करनी होगी। निर्धारित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास सामने रखदी जावेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद छूटे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा छूटे गये ऐसे संव्यवहारो और अवभारों को छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, निबंधक दानापुर

ज्ञाप संख्या 118 दिनांक 6-4-16

आवेदक श्री दामोदर प्रसाद

को अनुकार प्रमाण पत्र द्वारा दे नरा दे Ashiana Road Patna

का ज्ञाप पत्र संख्या दिनांक 2-4-16 के प्रसंग में अग्रसारित की जाता है।

निबंधन पदाधिकारी,
दानापुर
6-4-16

SPL-469/99-2,00,000

संपत्ति अभार प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र संख्या आवेदन सं. 11 दि. 31 Dec 2016

चौकी श्री Dharmshila Devi 3229

ने यह प्रार्थना आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

एतत्द्वारा मैं (हम) प्रमाणित करता (हैं) कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अभारों के लिये मैं (हम) और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 19 85 से ता० 2004 तक तक तलाशी की गयी और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अभारों का पता चला चला है अर्थात् कोई नहीं

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज जो अभिलेख में प्र० किया		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mauza		Jamabandi Sahjadpur					
	P.S.		Jamabandi					
	P.S. Mau		21					
	Tauzi No.		5402					
	Khasra No.		354					
	Plot No.		1652					
	Area		6 Kachi & other					

A.K. Singh

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

2. संपत्ति-पत्र की दिशा एवं माप और भूमिधर की अवधि दर्ज करें। संशोधन की उनके भार से तुलना हो।

3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

तलाशी का सत्यापन और दस्तावेजों की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

कार्यालय: Patna

तारीख: 26/3/16

26/3/16

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी:-इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदन द्वारा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (छूटने वाला) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति (चाहकों) और अनुदानग्रहिणी (ग्रान्टीज) की प्रतिलिपियाँ देखना चाहते हों अथवा जिनकी प्रतिलिपियाँ लेना चाहते हों-जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। चिह्नित पक्षों का पृष्ठांकन करने पर अनुदानग्रहिणियाँ उनके पास-सामने रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलाशी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद दूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा दूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक 3355

ज्ञाप संख्या दिनांक 26/3/16

आवेदक श्री Dharmshila Devi

का ऋणभार प्रमाण-पत्र हेतु Oriental Bank of Commerce, Exhibition Road Branch, Patna.

का उनके पत्र संख्या दिनांक 23/3/16 के प्रसंग से अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी

26/3/16

Patna

SPL 40/09 3,00,000